



गुजरात में AAP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सियासत तेज, अरविंद केजरीवाल ने CM भूपेंद्र पटेल को लिखा पत्र

गुजरात की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य में पार्टी की नेताओं और कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही गिरफ्तारियों को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा है और आरोप लगाया है कि पंचायत और नगर पालिका चुनावों से पहले सुनियोजित तरीके से उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

केजरीवाल ने अपने पत्र में दावा किया कि पिछले तीन महीनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी के 160 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आने वाले समय में 10 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को



गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा रही है। उनके मुताबिक, यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के तहत की जा रही है, ताकि चुनावों से पहले पार्टी की सक्रियता को खत्म किया जा सके। उन्होंने लिखा कि पिछले 30 वर्षों से गुजरात में भाजपा की सरकार है, लेकिन अब जनता भ्रष्टाचार, अत्याचार और कथित दमनकारी नीतियों से परेशान हो चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी खुद को एक ईमानदार, निडर और देशभक्त पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है, जो भाजपा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। यही कारण है कि राज्य में पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, और इसी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल ने हाल की कुछ घटनाओं

का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि गिरफ्तारियों का एक खास पैटर्न सामने आ रहा है। उनके अनुसार, कई मामलों में पहले झगड़े की स्थिति पैदा की जाती है, फिर पुलिस बिना निष्पक्ष जांच के सीधे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज देती है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस पहले से ही तैयार रहती है और किसी के फोन का इंटरव्यू करती है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। उन्होंने खंभालिया की घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि 31 मार्च 2026 को दीपक सिंह पर

कथित रूप से हमला किया गया, लेकिन जब वह शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो उल्टा उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह पोरबंदर में 30-31 मार्च की रात पवन और जगदीश के साथ कथित तौर पर स्कूटी सवार ने विवाद किया, जिसके बाद पुलिस ने बिना विस्तृत जांच के दोनों पर धारा 307 (हत्या के प्रयास) लगा दी और उन्हें जेल भेज दिया। उन्होंने गुजरात पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिना उचित जांच के इस प्रकार की कार्रवाई न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ

देती है, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है। अपने पत्र में केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर ये स्कूटर सवार कौन हैं, जो हर जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से टकरा जाते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है जैसे किसी योजना के तहत इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस पहले से ही एक्टरफा कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलों में हमलावरों को छोड़ दिया जाता है, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने गुजरात पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिना उचित जांच के इस प्रकार की कार्रवाई न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ

की कोशिश कर रही है, और ऐसे में लगाया कि उनके कई कार्यकर्ताओं पर झूठे और मनगढ़ंत केस दर्ज किए गए हैं, ताकि उन्हें लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में उलझाकर रखा जा सके। इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की मांग की है, ताकि वे सीधे इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें और राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इस मामले को गंभीरता से लेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए यह विवाद और गहरा सकता है। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ वर्षों में राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने

मालदा में चुनावी अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कानून-व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव से जुड़े सात अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाए जाने की घटना ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की चुनावी व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में Supreme Court of India की कड़ी टिप्पणी ने स्थिति की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि अधिकारियों को करीब नौ घंटे तक बंधक बनाए रखा गया, उन्हें खाना-पानी तक नहीं दिया गया और यह सब एक सुनियोजित तरीके से किया गया प्रतीत होता है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह की घटनाओं का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना और न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना हो सकता है।



इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ में Surya Kant, Joyimalya Bagchi और Vipul M Pancholi शामिल रहे। पीठ ने राज्य प्रशासन की भूमिका पर भी सख्त नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी घटना यह दर्शाती है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति कमजोर पड़ रही है। अदालत ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और अन्य संबंधित अधिकारियों से उनकी कथित निष्क्रियता पर जवाब मांगा है, जिससे साफ है कि कोर्ट इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। घटना की जड़ में वोट लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर फैला असंतोष बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार को सात चुनाव पर्यवेक्षक मालदा के एक बीडीओ कार्यालय में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। इनमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल थीं। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने कार्यालय को घेर लिया। देखते ही देखते स्थिति इतनी तनावपूर्ण

हो गई कि अधिकारियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और उन्हें घंटों तक वहीं रोके रखा गया। यह विरोध केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अगले दिन भी इसका असर दिखाई दिया। गुरुवार को नारायणपुर स्थित बीएसएफ कैम्प के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे-12 को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध जताया गया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा, लेकिन हालात देर तक नियंत्रण में नहीं

आ सके। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें निष्पक्षता और सुरक्षा सर्वोपरि होती है। ऐसे में यदि चुनाव से जुड़े अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो यह व्यवस्था पर गहरा प्रश्नचिह्न लगाता है। घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता नहीं दर्शाती, बल्कि यह सामाजिक असंतोष और राजनीतिक तनाव का भी संकेत हैं। वोट लिस्ट से नाम कटने जैसी समस्याएं यदि समय रहते हल नहीं की जातीं, तो वे बड़े स्तर पर विरोध और अस्थिरता का कारण बन सकती हैं। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजर टिकी हुई है—एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जांच कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध जताया गया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा, लेकिन हालात देर तक नियंत्रण में नहीं

विदेशों में भारतीय श्रमिकों की मौतें: आंकड़ों ने खोली कड़वी सच्चाई, खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा संकट

नई दिल्ली। विदेशों में बेहतर रोजगार और आर्थिक स्थिरता की तलाश में हर साल लाखों भारतीय अपने घर-परिवार से दूर जाते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आए सरकारी आंकड़ों ने इस उम्मीद भरे सफर के एक बेहद चिंताजनक और दर्दनाक पहलू को उजागर कर दिया है। Ministry of External Affairs द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 37,740 विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता नहीं दर्शाती, बल्कि यह सामाजिक असंतोष और राजनीतिक तनाव का भी संकेत हैं। वोट लिस्ट से नाम कटने जैसी समस्याएं यदि समय रहते हल नहीं की जातीं, तो वे बड़े स्तर पर विरोध और अस्थिरता का कारण बन सकती हैं। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजर टिकी हुई है—एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जांच कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध जताया गया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा, लेकिन हालात देर तक नियंत्रण में नहीं

स्थितियां, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, मानसिक दबाव या फिर अन्य कोई कारण। साल-दर-साल आंकड़ों पर नजर डालें तो समस्या की गंभीरता और स्पष्ट हो जाती है। वर्ष 2021 में 8,234 भारतीय श्रमिकों की मौत दर्ज की गई, जो सबसे अधिक है। इसके बाद 2022 में यह संख्या घटकर 6,614 हुई, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 2023 में 7,291, 2024 में 7,747 और 2025 में 7,854 मौतों के साथ यह आंकड़ा फिर लगातार बढ़ता गया। यह ट्रेंड साफ संकेत देता है कि स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है और जोखिम लगातार बना हुआ है। इन मौतों का सबसे बड़ा केंद्र खाड़ी देश बने हुए हैं, जहां भारतीय श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या काम करती है। आंकड़ों के मुताबिक, कुल मौतों में से 86 प्रतिशत से अधिक मामले खाड़ी देशों से जुड़े हैं। United Arab Emirates में सबसे अधिक 12,380 मौतें दर्ज की गईं, जो अकेले ही एक बड़ी चिंता का विषय हैं। इसके बाद Saudi Arabia में 11,757 मौतें हुईं। इसके अलावा Kuwait (3,890), Oman (2,821), Qatar (1,760) और Malaysia (1,915) में

भी बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों की जान गई। यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि खाड़ी देश भारतीय श्रमिकों के लिए सबसे बड़े रोजगार केंद्र माने जाते हैं। निर्माण, तेल-गैस, पर्यटन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में लाखों भारतीय काम करते हैं। लेकिन कई बार उन्हें कठिन कार्य परिस्थितियों, अत्यधिक गर्मी, लंबे कार्य घंटों और सीमित श्रमिक अधिकारों का सामना करना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मौतों के साथ-साथ शोषण और दुर्व्यवहार की बढ़ती शिकायतें भी एक बड़ा संकेत हैं कि समस्या केवल स्वास्थ्य या दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवाधिकारों का पहलू भी जुड़ा हुआ है। 2021 से 2025 के बीच भारतीय दूतावासों और मिशनों को कुल 80,985 शिकायतें प्राप्त हुईं, जो कार्यस्थल पर शोषण, वेतन न मिलना, पासपोर्ट जब्त करना, अमानवीय व्यवहार और अन्य समस्याओं से संबंधित थीं। इन शिकायतों में भी United Arab Emirates शीर्ष पर रहा, जहां से 16,965 शिकायतें दर्ज की गईं। इसके बाद कुवैत, ओमान और सऊदी

अरब का स्थान रहा। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों जैसे मलेशिया और मालदीव से भी बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आई हैं। यह पूरा परिदृश्य एक गहरे सामाजिक और नीतिगत मुद्दे की ओर इशारा करता है। एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है, जो हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा में भेजते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा और अधिकारों को लेकर गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या के समाधान के लिए केवल आंकड़े पेश करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें विदेशी नियोजकों के साथ सख्त श्रम समझौते, श्रमिकों के लिए बेहतर वीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं, आपातकालीन सहायता प्रणाली और दूतावासों की सक्रिय भूमिका शामिल होनी चाहिए। साथ ही, विदेश जाने से पहले श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण और जागरूकता देना भी बेहद जरूरी है, ताकि वे अपने अधिकारों और संभावित जोखिमों के बारे में पहले से जानकारी रख सकें। अंततः, यह मुद्दा केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि मानव जीवन और गरिमा का है।

असम चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव, राहुल गांधी ने जारी किया 11 संकल्पों वाला घोषणापत्र

असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक माहौल तेज होता जा रहा है, और इसी बीच Rahul Gandhi ने गुरुवार को बोकाजान में एक बड़ी चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया। इस अवसर पर उनके साथ Gaurav Gogoi समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यह घोषणापत्र कांग्रेस की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें राज्य के विकास, पहचान और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख मुद्दों को केंद्र में रखा गया है। घोषणापत्र में कुल 11 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिनमें शासन व्यवस्था को बेहतर बनाना, राज्य की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखना, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे का विकास, औद्योगीकरण को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना, ग्रामीण और शहरी विकास को संतुलित करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और "सुरक्षित असम" का निर्माण जैसे संकल्प शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह दस्तावेज केवल वादों का पुलिंदा नहीं, बल्कि असम के भविष्य की एक विस्तृत रूपरेखा है। इससे पहले कांग्रेस ने 29 मार्च को पार्टी अध्यक्ष Mallikarjun Kharge के दौरे के दौरान 'पंच गारंटी' भी जारी की थी, जिन्हें अब इस विस्तृत घोषणापत्र के साथ जोड़कर जनता के सामने रखा गया है। पार्टी का दावा है कि ये गारंटी और संकल्प मिलकर राज्य के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने में मदद करेंगे।



असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होना तय है, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और घोषणापत्रों के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने असम की विविधता को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया।

उन्होंने कहा कि असम एक "फूलों का गुलदस्ता" है, जहां अलग-अलग धर्म, जाति और विचारधारा के लोग मिलकर रहते हैं। कांग्रेस की विचारधारा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि देश की असली ताकत जनता के हाथ में हो और हर वर्ग को शासन में बराबर भागीदारी मिले। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का दृष्टिकोण विकेन्द्रीकरण का है, जहां

फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जाएं। इसी संदर्भ में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 244(ए) का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रावधान असम की जनता को अधिक अधिकार और स्वायत्तता देने के लिए लाया गया था, जिससे राज्य को न तो केवल गुवाहाटी से और न ही दिल्ली से नियंत्रित किया जाए, बल्कि स्थानीय लोगों को निर्णय लेने की शक्ति मिले। अपने भाषण में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा की सोच असम को केंद्र से नियंत्रित करने की है, जबकि कांग्रेस स्थानीय सशक्तिकरण में विश्वास करती है। उन्होंने यह भी कहा कि यही दोनों पार्टियों के बीच मूलभूत वैचारिक अंतर है। रैली के दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी तीखे राजनीतिक बयान दिए, जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi और अन्य वैश्विक नेताओं का उल्लेख किया। हालांकि, इस तरह के बयान चुनावी माहौल को और अधिक गरमाने का काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर, कांग्रेस का यह घोषणापत्र असम चुनाव में पार्टी की दिशा और दृष्टि को स्पष्ट करता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इन वादों और दावों को किस रूप में स्वीकार करते हैं और आगामी चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं।



गरवी गुजरात
हिन्दी



JioTV
CHENNAL NO. 2002



Jio Air Fiber



Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH Live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

संपादकीय

जिंदगी निगलती भीड़

पिछले दिनों वाराणसी में मोबाइल चोरी के संदेह में एक किशोर की पीट-पीट कर हत्या करने की हदयविदारक घटना सामने आई। घटना कानून व्यवस्था पर तो सवाल है ही, साथ ही भीड़ की बर्बरता की कहानी भी कहती है। क्या एक बच्चे की जिंदगी मोबाइल से सस्ती है? सवाल समाज की बढ़ती आक्रामकता पर भी है। एक ओर हम समाज में कानून का शासन चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कानून हाथ में लेकर किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। निस्संदेह, यदि किसी व्यक्ति की अपराध में शामिल होने की आशंका भी है तो उसे पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अराजक तरीके से मार-पीटकर किसी की हत्या कर देने का अधिकार भीड़ को कैसे मिल सकता है? सवाल ऐसी घटनाओं पर शेष समाज की उदासीनता का भी है। जब उस किशोर को पीटा जा रहा था तो आसपास से गुजरने वाले लोग क्यों उसे बचाने नहीं आए? हाल के दिनों में महज शक के आधार पर लोगों को मौत के घाट उतारने व घायल करने की घटनाएं आम हो गई हैं। यह हमारे समाज के लिये भी चिंता का विषय है क्योंकि निहित स्वार्थी तत्व अकसर निर्दोष लोगों को जाति व संप्रदाय के नाम पर अपने बहुलता वाले इलाके में शिकार बना लेते हैं। प्रश्न यह भी है कि इस तरह की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकारों की तरफ से जमीनी स्तर पर कारगर कदम उठाने की पहल क्यों नहीं होती? जाहिर बात है कि व्यक्ति विशेष को शक के आधार पर निशाना बनाने वाले लोगों में कानून का डर न के बराबर ही होता है। साथ ही आसपास के लोगों का महज तमाशबीन बना रहना भी भीड़ के अराजक व्यवहार को बढ़ावा देता है। वाराणसी की घटना में जिस तरह किशोर को घर से बुलाकर सड़क पर पीटा गया और लोग खामोश रहे, परेशान करने वाला घटनाक्रम ही है। निश्चित रूप से भीड़ द्वारा संदेह के आधार पर किसी की हत्या करना, किसी भी सभ्य समाज के मंगे पर कलंक जैसा है। ऐसे मामलों में पुलिस को भी अपना सूचना तंत्र मजबूत करने और संवेदनशील ढंग से कार्रवाई करने की जरूरत है। खासकर उस क्षेत्र के थाने की पुलिस व अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। हमारे समाज में संदेह के आधार पर किसी की जान लेने की प्रवृत्ति जिस तेजी से बढ़ रही है, वह हमारी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। आये दिन हम सड़कों पर रोड रेज की घटनाएं सुनते और देखते हैं। सड़क में आगे निकलने की होड़ में गोली चलाने और हिंसक प्रतिरोध की घटनाएं अकसर सामने आती हैं। पिछले दिनों देहरादून में आगे निकलने की होड़ में दो कारों में सवार लोगों की गोलीबारी में सड़क पर सैर कर रहे सेना के एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की हत्या की घटना उत्तराखंड में व्यापक जनक्रोश का विषय बनी। ऐसी घटनाएं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि नई पीढ़ी के लोग अपना धैर्य, विवेक तथा संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं। ये हमारे मानवीय मूल्यों व संवेदना का भी क्षरण है। दरअसल, हमारे समाज में संयुक्त परिवारों का बिखराव होने से बच्चों की संवेदनशील ढंग से परवरिश का न हो पाना भी युवाओं में बढ़ती आक्रामकता की वजह बन रहा है। पहले स्कूलों में शिक्षकों का दबदबा होता था और छात्र जीवन में अनुशासन का पाठ सीखते थे। मां-बाप के लाड़-प्यार और बच्चों को स्वच्छंद व्यवहार की आजादी ने उन्हें उच्छ्वेखल बनाया है। एकल परिवारों में पलने वाले अकेले बच्चों में दूसरों को आसानी से सहन न करने की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर समाज में लगातार जटिल होता जीवन भी उपाता को बढ़ावा दे रहा है। नशा भी नाश का कारक बन रहा है। सूचना माध्यमों में बाजार द्वारा दर्शाए जा रहे विलासिता व भ्रष्टता के सपने देखकर जब नई पीढ़ी कठोर यथार्थ से जुड़ाती है तो हताशा के चलते उसमें आक्रोश के स्वर मुखर होते हैं। सिमटते रोजगार व मनमाफिक अवसर न मिलने की कुंठा भी उन्हें आक्रामक बना रही है। आज इन सभी कारकों को तुरंत संबोधित करने की जरूरत है।

नई सोच रोकेगी मनुष्यता के खिलाफ अपराध



महाड के जल-सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है यह। वह सत्याग्रह वस्तुतः मानव-समाज की समानता के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। यह संघर्ष तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कानून या संविधान में दिये गये अधिकारों को सामाजिक स्तर पर पूरी मान्यता नहीं मिल जाती।

प्रेरणा

जब दिल जागता है: संवेदना से बनता सच्चा नेतृत्व

मनुष्य का जीवन केवल ज्ञान, शक्ति या उपलब्धियों से महान नहीं बनता, बल्कि उसकी असली पहचान उसके भीतर छिपी संवेदनशीलता से होती है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जिन व्यक्तियों ने दूसरों के दुःख को समझा, जिन्होंने अपना के विरुद्ध आवाज उठाई और जिन्होंने करुणा को अपना धर्म बनाया, वही सच्चे अर्थों में महान बने। ऐसी ही एक प्रेरणादायक घटना उस समय की है, जब एक साधारण बालक चंद्रगुप्त, अपने गुरु चाणक्य के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वह समय था जब शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन को समझने की प्रक्रिया थी। गुरुकुल में प्रत्येक शिष्य को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उसे एक आदर्श मनुष्य और भविष्य का उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए तैयार किया जाता था। चाणक्य जैसे महान गुरु के सान्निध्य में शिक्षा पाना स्वयं में एक सौभाग्य था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और न्यायप्रिय भी बनाता करते थे। एक दिन गुरुकुल में एक ऐसी घटना घटी, जिसने चंद्रगुप्त के जीवन की दिशा बदल दी। एक निर्धन बालक, जिसकी आंखों में आंसू और मन में अपमान की पीड़ा थी, वहां आया। कुछ अन्य शिष्यों ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसके वस्त्र पुराने थे, उसकी स्थिति साधारण थी, परंतु उसकी भावनाएं उतनी ही गहरी थीं जितनी किसी और की। उस बालक का अपमान केवल उसकी गरीबी का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का अपमान था। चंद्रगुप्त यह सब देख रहा था। उसने उस पीड़ा को

स्वतंत्रता सेनानी और अस्पृश्य समझे जाने वाले वर्ग के नेता बाबू जगजीवन राम को बचपन में स्कूल में इसलिए सजा मिली थी कि उन्होंने उस मटके से पानी पी लिया था जो स्कूल के सर्वार्थ अध्यापकों के लिए रखा गया था। यह बात तब की है जब हम गुलाम थे। पर ऐसे ही 'अपराध' के लिए स्वतंत्र भारत में भी नौ साल के एक दलित बच्चे को भी सजा मिली थी— राजस्थान के जालौर के एक स्कूल में उन बच्चों से भी अनजाने में ही अध्यापकों के मटके से पानी पीने का 'अपराध' हो गया था। यह घटना हमारी आजादी की 75वीं सालगिरह के दिन घटी थी। दोनों ही घटनाओं में लगभग एक सदी की दूरी है। सदियों से दलितों के साथ इस तरह के अत्याचार होते आ रहे हैं। उम्मीदी थी कि स्वतंत्र भारत में हमारी समाज व्यवस्था के माथे से यह कलंक मिट जायेगा। पर आज भी, यानी इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में इस आशय के समाचार मिल जाते हैं कि फलां गांव में या फलां कस्बे में दलित समाज के किसी व्यक्ति को इसलिए सजा भुगतान पड़ी कि उसने घोड़े पर बैठकर दूल्हा बनने का दुस्साहस किया था! आजादी प्राप्त करने के बाद जब हमने अपना संविधान बनाया तो उसमें यह स्पष्ट व्यवस्था की थी कि स्वतंत्र भारत में किसी भी नागरिक को अस्पृश्यता जैसे अभिशाप को झेलना न पड़े। एक लंबे संघर्ष के बाद यह स्थिति आयी थी, पर अभी भी अस्पृश्यता के अभिशाप से हम मुक्त नहीं हो पाये। सौ साल पहले बाबासाहेब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महाड में आगे बढ़ के लिए आरंभित समझे जाने वाले एक तालाब से पानी पीने के अधिकार का संघर्ष शुरू किया था। उस तालाब में जानवर तो पानी पी सकते थे, पर अस्पृश्य समझे



जाने वाले दलित को यह अधिकार नहीं था। ऊंची समझी जाने वाली जातियों के लोग यह मानते थे कि दलितों के छूने से वह भी अपवित्र हो जायेंगे। पता नहीं यह धारणा कब से चली आ रही है, पर यह एक शर्मनाक सच्चाई है कि हमारे देश में आज भी छुआछूत से हमारा पीछा नहीं छूट पाया। शहरी भारत में भले ही माथे पर यह कलंक न दिखता हो, पर ग्रामीण भारत आज भी जैसे इस त्रास को भोगने के लिए शापित है। यहां यह याद रखना जरूरी है कि लगभग अस्सी प्रतिशत भारत गांवों में बसता है! सन् 1950 में हमने अपने संविधान में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की थी। हमारा संविधान कहता है, 'सरकार धर्म, जाति, जन्म आदि के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी।' लगता है, भेदभाव करने वालों ने मान लिया है कि यह व्यवस्था सरकार के तो पानी पी सकते थे, पर अस्पृश्य समझे

पहले डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज को यह अहसास कराने की कोशिश की थी। सौ साल पहले 20 मार्च, 1927 को महाराष्ट्र के एक तालाब के पानी को न केवल दलितों ने छुआ, बल्कि उस तालाब का पानी पिया भी। वस्तुतः यह मनुष्यता की रक्षा के लिए किये जाने वाले एक संघर्ष की शुरुआत थी। यह सौवां वर्ष है इस संघर्ष का— और संघर्ष आज भी जारी है। हम इस बात पर तो गर्व कर सकते हैं कि सौ साल पहले ऐसा कोई संघर्ष प्रारंभ हुआ था, पर देखा जाये तो यह शर्म की ही बात है कि अब तक इस संघर्ष में पूरी विजय नहीं मिल पायी। पर इस असफलता से संघर्ष की महत्ता कम नहीं हो जाती। जरूरी है कि महाड में शुरू किये गये इस जल-सत्याग्रह की महत्ता को समझा जाये, इस संघर्ष को ताकिक परिणति तक पहुंचाया जाये। उस दिन अम्बेडकर के नेतृत्व में लगभग ढाई हजार दलितों ने महाड के चौदार तालाब के पवित्र समझे जाने वाले

जल को अंजलि में भरकर एक नई आजादी के संघर्ष की शुरुआत की थी। यह संघर्ष इस सिद्धांत को स्वीकारने के लिए भी था कि जल, जंगल और हवा प्रकृति ने हर प्राणी के लिए दिये हैं, किसी जन्म या किसी धर्म के नाम पर इनका बंटवारा नहीं हो सकता। किसी भी आधार पर प्रकृति के इन अवदानों पर कोई अपना अधिकार नहीं जता सकता। पर इस बात को सर्वर्ण समझे जाने वाले समाज ने आसानी से स्वीकार नहीं किया। महाड सत्याग्रह से 'शुद्धीकरण' किया, बल्कि सत्याग्रहियों को मारा-पीटा भी गया था। ये घमेल को अदालत में भी लेकर पहुंचे। दस साल लगे न्यायालय को पानी पर सबके अधिकार का फैसला सुनाने में। और यह ही हकीकत है कि आज भी देश का एक बहुत बड़ा तबका मन से यह मानने को तैयार नहीं है कि दलितों को अस्पृश्य मानना मनुष्यता के खिलाफ एक अपराध है। सदियों से चले आ रहे इस अपराध का प्रायश्चित होना ही चाहिए। यह अपराध-बोध ही समता के इस संघर्ष को किसी ताकिक परिणति तक पहुंचा सकता है। महाड के जल-सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है यह। वह सत्याग्रह वस्तुतः मानव-समाज की समानता के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। यह संघर्ष तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कानून या संविधान में दिये गये अधिकारों को सामाजिक स्तर पर पूरी मान्यता नहीं मिल जाती। इस मान्यता को मिलने का मतलब है इस सत्य को स्वीकार करना कि किसी भी आधार पर मनुष्य और मनुष्य के बीच खाई नहीं होनी चाहिए। संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के चार स्तंभों पर एक मानवीय समाज की संरचना को आकार दिया गया है। अम्बेडकर ने

जल-सत्याग्रह के माध्यम से समानता की लड़ाई को नया आयाम दिया था। चावदार तालाब के इस सत्याग्रह के तीन साल बाद उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों की समानता की लड़ाई का एक और मोर्चा खोला था। यहां विवाद दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार को लेकर था। गांधीजी इससे दो दशक पहले दलितों को यह अधिकार दिये जाने के संघर्ष को प्रारंभ कर चुके थे। इतिहास की इन सारी बातें को याद करने का एक अवसर है जल-सत्याग्रह का यह शताब्दी वर्ष। इसे याद करने का मतलब समानता की एक अथुरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ना है। यह बात समझना जरूरी है कि समानता की यह लड़ाई किसी कानून या किसी सरकार के सहारे नहीं जीती जा सकती। आवश्यकता एक सामाजिक आंदोलन की चलाने, उसे गति देने की है। अम्बेडकर का जल-सत्याग्रह या गांधी का नमक-सत्याग्रह या दलित के मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए किया गया मानवीय समानता का संघर्ष कुल मिलाकर समानता की एक ऐसी लड़ाई है जिसके पूरा हुए बिना मनुष्यता की लड़ाई किसी ताकिक परिणति तक नहीं पहुंच सकती। डाक्टर अम्बेडकर को हम संविधान के प्रमुख शिल्पी की तरह याद करते हैं। इस याद करने को सार्थक बनाने का अर्थ आमदमी और आदमी के बीच की खाई को पाटना है। तीन साल पहले जारी किये गये एक आंकड़े के अनुसार देश में दलितों पर अत्याचार की पांच घटनाएं रोज घट रही हैं। जालौर के नौ साल के इंद्र मेघवाल के साथ हुआ अन्याय इन्हीं पांच में से एक है। यह अन्याय खत्म होना ही चाहिए— तभी मनुष्यता जीतेगी।

होर्मुज संकट से बेहाल दुनिया को चीन की ऊर्जा नीति से सीख लेनी चाहिए

वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच एक सख्त सच्चाई उभर कर सामने आ रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर मंडरताते खतरे ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं, लेकिन इस उथल पुथल के बीच चीन एक अलग ही खेल खेलता नजर आ रहा है। जहां एशिया के कई देश ऊर्जा बचाने की अपील कर रहे हैं, वहीं चीन आत्मविश्वास से भरा हुआ है और दावा कर रहा है कि उसके पास ऊर्जा का पर्याप्त रणनीतिक भंडार है। दरअसल, यह आत्मविश्वास यू ही नहीं आया। चीन ने पिछले कई वर्षों में एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसने उसे वैश्विक तेल आपूर्ति के झटकों से काफी हद तक सुरक्षित बना दिया है। जब दुनिया तेल के लिए समुद्री मार्गों पर निर्भर है, चीन ने अपनी निर्भरता को योजनाबद्ध तरीके से कम किया है।

सबसे बड़ा बदलाव चीन के इलेक्ट्रिक वाहन अभियान में दिखता है। जहां 2020 में लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक नए वाहनों में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी, वहीं यह आंकड़ा अपेक्षा से कहीं आगे निकल गया और आधे से ज्यादा कार नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो गईं। इसका सीधा असर यह हुआ कि चीन की तेल खपत अब स्थिर होने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण जितना तेल बचा है, वह लगभग उतना ही है जितना चीन सऊदी अरब से आयात करता था। यह बदलाव मामूली नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा पूर्ण राजनीति की दिशा बदलने वाला संकेत है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी ताकत उसका विविधीकृत आयात तंत्र है। जहां जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश चिंता में डूबे हुए हैं, लेकिन चीन इस संकट को अवसर में बदलने की स्थिति में है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की तेल मांग अब चरम पर पहुंचकर घटने की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आने आयात तंत्र है। जहां जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश एक ही जूते में सँताने के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं, चीन ने अपने तेल स्रोतों को आठ से ज्यादा देशों में फैला रखा है। रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों से सस्ता तेल लेकर उसने पश्चिमी प्रतिबंधों को भी अपने हित में बदल लिया है। रणनीतिक दृष्टि से यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि यदि किसी एक क्षेत्र में संकट आता है, तो चीन पूरी तरह उप नहीं होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक दांव है चीन का विशाल तेल प्रसंग नहीं, बल्कि एक ऐसा संकट है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।

का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि लोगों के हृदय समय शाब्द सामान्य प्रतीत हुआ, पर वही मौन आगे चलकर उसके लिए एक गहरा आत्मबोध बनने वाला था। वह समझ नहीं पाया कि उस क्षण उसे क्या करना चाहिए था—क्या उसे विरोध करना चाहिए था या चुप रहना चाहिए था। इसी द्वंद में उसने मौन को चुना। लेकिन चाणक्य की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने इस पूरे दृश्य को देखा और समझ लिया कि यह केवल एक बालक का अपमान नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण शिक्षा का अवसर है। उन्होंने सभी शिष्यों को एक शौच और शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, "जहां किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, वहां जान का कोई मूल्य नहीं रह जाता। शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि को विकसित करना नहीं, बल्कि हृदय को भी संवेदनशील बनाना है।" परंतु उनके शब्दों में गहराई थी, और हर शिष्य के हृदय में उतर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, "यदि तुम दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते, यदि तुम किसी के दर्द को देखकर भी मौन रहते हो, तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। एक सच्चा मनुष्य वही है, जो दूसरों के सम्मान की रक्षा करे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।" फिर उनकी नजर चंद्रगुप्त पर पड़ी। उन्होंने उससे पूछा, "यदि तुम भविष्य में एक बड़े शासक बने, लेकिन अपने ही लोगों के दुःख और भावनाओं को न समझ सको, तो क्या तुम एक सच्ची और न्यायपूर्ण राज्य बना पाओगे?" यह प्रश्न सीधा था, परंतु इसका प्रभाव गहरा था। वह केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि नेतृत्व

परिस्थितियों का सामना करते हैं, जहां हमें निर्णय लेना होता है—क्या हम किसी के अपमान या अन्याय को देखकर चुप रहे, या उसके विरुद्ध खड़े हों। यही छोटे-छोटे निर्णय हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। संवेदना हमें यह सिखाती है कि हम दूसरों के दर्द को महसूस करें, उनके साथ खड़े हों और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। यदि हम अपने जीवन में संवेदनशीलता के स्थान दें, तो हम न केवल अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने भीतर भी एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि अंततः, जीवन की सच्ची सफलता यही है कि हम कितने लोगों के दिलों को छू पाए, कितनों के आंसू पोंछ पाए और कितनों को सम्मान दें पाए। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि महानता केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे संवेदनशील कार्यों में छिपी होती है। जब हम किसी के दर्द को समझते हैं और उसके सम्मान की रक्षा करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मानवता का पालन करते हैं। अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि संवेदना ही वह शक्ति है, जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। यही वह गुण है, जो एक बालक को समाज के वनात है और एक व्यक्ति को सच्चा नेता बनाता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में कुछ सबसे मूल्यवान अपनाना चाहते हैं, तो वह है—दूसरों के प्रति सम्मान, करुणा और संवेदना।

अभियान

भक्ति की पराकाष्ठा: जब हजारों वर्षों की तपस्या ने भगवान को पुत्र बनने का वचन दिलाया

भारतीय अध्यात्म की गहराइयों में ऐसी अनेक कथाएँ छिपी हैं, जो केवल धार्मिक आख्यान नहीं हैं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाले दिव्य संदेश हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत पावन प्रसंग उस समय का है, जब महर्षि याज्ञवल्क्य अपने शिष्य और महान ऋषि भरद्वाज को श्रीरामकथा का रसपान कर रहे थे। वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक था, जहाँ हर शब्द में भक्ति का माधुर्य और हर भाव में ईश्वर के प्रति प्रेम झलक रहा था। भरद्वाज मुनि अत्यंत ध्यानपूर्वक इस कथा को सुन रहे थे, जैसे उनके हृदय में हर प्रसंग एक जीवंत चित्र के रूप में अंकित हो रहा हो। नारद से संबंधित प्रसंग के पश्चात याज्ञवल्क्यजी ने एक अत्यंत अद्भुत और गहन कथा का वर्णन प्रारंभ किया—यह कथा थी मनु और शररूपा की, जिनकी तपस्या और भक्ति ने स्वयं भगवान को उनके जीवन में पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए बाध्य कर दिया। मनु, जिन्हें सम्पूर्ण मानव जाति का आदिपुरुष माना जाता है, केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा के सजीव स्वरूप थे। उनकी पत्नी शररूपा भी पतिव्रत धर्म,

सादगी और उच्च आदर्शों की मूर्ति थीं। उनका जीवन इतना पवित्र था कि वेद भी उनके आचरण का गुणगान करते हैं। मनु ने अपने जीवन का अधिकांश समय एक आदर्श शासक के रूप में बिताया। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ न्याय किया, धर्म का पालन किया और समाज में संतुलन बनाए रखा। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और राज्य समृद्ध। परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया और वृद्धावस्था निकट आई, उनके भीतर एक गहरी बेचैनी उत्पन्न होने लगी। यह बेचैनी किसी भीतिक वस्तु की कमी के कारण नहीं थी, बल्कि आत्मा की उस प्यास के कारण थी, जो केवल ईश्वर के साक्षात्कार से ही शांत हो सकती है। धीरे-धीरे यह भावना वैराग्य में परिवर्तित हो गई। मनु को यह अनुभव होने लगा कि संसार का हर सुख क्षणिक है, और यदि जीवन प्रभु के दर्शन के बिना समाप्त हो जाए, तो वह अधूरा रह जाता है। इस गहन अनुभूति ने उन्हें एक बड़ा निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और अपनी पत्नी शररूपा के साथ वन की ओर

प्रस्थान कर दिया। यह केवल बाहरी त्याग नहीं था, बल्कि उनके भीतर की आसक्तियों का भी पूर्ण परित्याग था। वन में उनका जीवन अत्यंत कठिन था। वहाँ कोई सुख-सुविधाएँ नहीं थीं, केवल तप, त्याग और संघर्ष ही फिर भी उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। वे नैमिषारण्य के पवित्र वन, गोमती नदी के तट और अनेक ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करते रहे। हर स्थान पर उन्होंने कठोर तपस्या की, और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा किया। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी—प्रभु के साक्षात् दर्शन। समय के साथ उनकी तपस्या और भी तीव्र होती गई। उन्होंने पहले भोजन का त्याग किया और केवल जल पर जीवन यापन करने लगे। फिर उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर निर्भर हो गए। अंततः उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया और एक पारु पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक कठोर तप में लीन रहे। यह तपस्या केवल शरीर की परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक उच्च मन, आत्मा और श्रद्धा की भी परीक्षा थी।

उनकी इस अद्वितीय तपस्या को देखकर त्रिवेद—ब्रह्मा, विष्णु और महेश—भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कई बार उनकी परीक्षा ली, विभिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न किए, परंतु मनु और शररूपा का मन कभी विचलित नहीं हुआ। उनका लक्ष्य स्पष्ट था और उनकी भक्ति अखंड थी। उस क्षण के साक्षात् दर्शन। समय के साथ उनकी तपस्या और भी तीव्र होती गई। उन्होंने पहले भोजन का त्याग किया और केवल जल पर जीवन यापन करने लगे। फिर उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर निर्भर हो गए। अंततः उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया और एक पारु पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक कठोर तप में लीन रहे। यह तपस्या केवल शरीर की परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक उच्च मन, आत्मा और श्रद्धा की भी परीक्षा थी।

उनकी इस अद्वितीय तपस्या को देखकर त्रिवेद—ब्रह्मा, विष्णु और महेश—भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कई बार उनकी परीक्षा ली, विभिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न किए, परंतु मनु और शररूपा का मन कभी विचलित नहीं हुआ। उनका लक्ष्य स्पष्ट था और उनकी भक्ति अखंड थी। उस क्षण के साक्षात् दर्शन। समय के साथ उनकी तपस्या और भी तीव्र होती गई। उन्होंने पहले भोजन का त्याग किया और केवल जल पर जीवन यापन करने लगे। फिर उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर निर्भर हो गए। अंततः उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया और एक पारु पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक कठोर तप में लीन रहे। यह तपस्या केवल शरीर की परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक उच्च मन, आत्मा और श्रद्धा की भी परीक्षा थी।

शतरूपा ने भी प्रभु से अटूट भक्ति और उनके चरणों में अनन्य प्रेम का वरदान माँगा। भगवान ने दोनों को उनकी इच्छानुसार वरदान प्रदान किया और अंतर्धान हो गए। यह क्षण उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि था, जब उनकी तपस्या और प्रेम ने ईश्वर को भी उनके जीवन का हिस्सा बना दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। परंतु उनकी कथा यही समाप्त नहीं हुई। अगले जन्म में वे त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। उसी जन्म में भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए श्रीराम के रूप में उनके पुत्र बनकर अवतार लिया और अपनी दिव्य लीलाओं से संसार को धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि मन में अटूट विश्वास और प्रेम हो, तो ईश्वर भी हमारे जीवन में उतर आते हैं। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक ऐसा संकट है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।

हिंडन एयरपोर्ट की उड़ानों पर अचानक ब्रेक, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें और एयरलाइंस के फैसले के पीछे की पूरी कहानी

दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और निराशाजनक खबर सामने आई है। जिस एयरपोर्ट को पिछले वर्ष क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से बड़े उत्साह के साथ शुरू किया गया था, वही अब धीरे-धीरे अपनी रफ्तार खोता नजर आ रहा है। हाल ही में मुंबई, अहमदाबाद और पटना जैसे प्रमुख शहरों के लिए यहां से संचालित होने वाली उड़ानों को अचानक बंद कर दिया गया है। इस फैसले ने न केवल यात्रियों को झटका दिया है, बल्कि हिंडन एयरपोर्ट के भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हिंडन एयरपोर्ट से अपना पूरा ऑपरेशन सस्पेंड लिया है, जबकि इंडिगो ने भी अपनी

उड़ानों की संख्या में भारी कटौती कर दी है। कभी इस एयरपोर्ट से करीब 16 शहरों के लिए लगभग 50 उड़ानें संचालित होती थीं, लेकिन अब यह संख्या घटकर केवल 7 शहरों और लगभग 14 उड़ानों तक सिमट गई है। इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ा है, जो दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बचने के लिए हिंडन एयरपोर्ट को एक सुविधाजनक विकल्प मानते थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस के संचालन बंद करने के साथ ही मुंबई, अहमदाबाद और पटना जैसे बड़े शहरों की सीधी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। इसके अलावा भटिंडा, लुधियाना और किशनगढ़ जैसे शहरों के लिए उड़ानें पर भी अवर पड़ा है। यह बदलाव खासतौर पर उन यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है, जो समय



और लागत दोनों बचाने के लिए हिंडन एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते थे।

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कई तकनीकी और व्यावसायिक कारण सामने आए हैं। सबसे बड़ा कारण हिंडन एयरपोर्ट की परिचालन सीमाएं हैं। यह एयरपोर्ट भारतीय

वायुसेना के एयरबेस के भीतर स्थित है, जिसके चलते यहां नागरिक उड़ानों के लिए कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि यहां केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही उड़ानें संचालित की जा सकती हैं। रात

के समय फ्लाइट संचालन की अनुमति नहीं होने के कारण एयरलाइंस के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, यहां संसाधनों की भी कमी बताई जा रही है। सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के कारण बड़े पैमाने पर उड़ान संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। एयरलाइंस कंपनियां आमतौर पर उन रूट्स को प्राथमिकता देती हैं, जहां यात्रियों की संख्या अधिक हो और मुनाफा सुनिश्चित हो सके। लेकिन हिंडन एयरपोर्ट फिलहाल इन मानकों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। कम यात्री संख्या और सीमित संचालन समय के चलते एयरलाइंस को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्होंने अपने ऑपरेशन कम करने या बंद करने का फैसला लिया। सर्दियों के मौसम

में कोहरे की समस्या भी इस एयरपोर्ट के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। कम विजिबिलिटी के कारण अक्सर उड़ानें रद्द करनी पड़ती हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है और एयरलाइंस को नुकसान उठाना पड़ता है। बार-बार उड़ान रद्द होने से यात्रियों का भरोसा भी धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, जो किसी भी एयरपोर्ट के लिए एक गंभीर संकेत है। हिंडन एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि एयरलाइंस ने यह निर्णय अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है और इसमें एयरपोर्ट प्रबंधन की कोई सीधी भूमिका नहीं है। हालांकि, प्रबंधन यह भी दावा कर रहा है कि वे लगातार एयरलाइंस कंपनियों के संपर्क में हैं और भविष्य में यहां सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा उड़ानों की संख्या बढ़ाने के

लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस फैसले का सबसे अधिक असर गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के इलाकों में रहने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। अब उन्हें मुंबई, अहमदाबाद या पटना जैसे शहरों की यात्रा के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का रुख करना पड़ेगा। इससे न केवल यात्रा का समय बढ़ेगा, बल्कि अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ेगा। खासकर पीक ट्रेफिक के समय दिल्ली तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हिंडन एयरपोर्ट को फिर से सक्रिय और प्रभावी बनाना है, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन प्रणाली में सुधार करना होगा। साथ ही, रात के समय उड़ानों की अनुमति जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार करना

होगा, ताकि एयरलाइंस कंपनियों को यहां संचालन में सुविधा मिल सके। इसके अलावा, यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और प्रचार-प्रसार की भी जरूरत है। फिलहाल, हिंडन एयरपोर्ट का यह हाल क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजनाओं के सामने एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। यह दिखाता है कि केवल एयरपोर्ट बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मजबूत योजना, पर्याप्त संसाधन और व्यावसायिक दृष्टिकोण की उतना ही जरूरी होता है। आने वाले समय में यह देखा दिलचस्प होगा कि क्या हिंडन एयरपोर्ट एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ पाता है या फिर यह धीरे-धीरे हवाई नक्शे से गायब होने लगता है।

रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,अमित जोगी करें आत्मसमर्पण

प्रदेश कांग्रेस (जे) कमेटी के अध्यक्ष हैं अमित जोगी, निचली अदालत द्वारा मिली राहत को किया निरस्त

विलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद एक बड़ा और अहम मोड़ सामने आया है। Chhattisgarh High Court ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष Amit Jogi को बड़ा झटका देते हुए निचली अदालत से मिली राहत को निरस्त कर दिया है। अदालत की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अमित जोगी तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करें। इस फैसले ने राज्य की राजनीति और कानूनी हलकों में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha और न्यायमूर्ति Arvind Verma की खंडपीठ ने यह निर्णय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी Central Bureau of Investigation (सीबीआई) की अपील पर सुनवाई करते हुए सुनाया। अदालत ने इस दौरान मामले से जुड़े सभी पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान और विस्तृत साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्य इस मामले में गंभीरता को दर्शाते हैं और निचली अदालत द्वारा दिया गया निर्णय न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। इस केस में सीबीआई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष लगभग 11 हजार पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें घटना से



जुड़े तथ्यों, परिस्थितियों और आरोपों का विस्तार से उल्लेख किया गया था। इस व्यापक दस्तावेज के आधार पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अमित जोगी के खिलाफ पर्याप्त आधार मौजूद हैं। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषिण्डि की श्रेणी में मानते हुए आत्मसमर्पण का आदेश जारी किया। फैसले के तुरंत बाद अमित जोगी ने इसे अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा कि वे इस निर्णय को Supreme Court में चुनौती देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे अपने पक्ष को सर्वोच्च अदालत के समक्ष मजबूती से रखेंगे। गौरतलब है कि यह मामला 4 जून 2003 का है, जब रायपुर में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और कोषाध्यक्ष Ramavatar Jaggi की दिनदहाड़े गोली

मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने उस समय पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था और इसे छत्तीसगढ़ की सबसे सनसनीखेज आपराधिक घटनाओं में गिना गया। वष 2007 में विशेष अदालत ने इस मामले में 28 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि अमित जोगी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस प्रकरण में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से दो ने सरकारी गवाह बनकर मामले को नई दिशा दी। बाद में इस केस को लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील की गई, जहां से इसे पुनः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को भेजा गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के बाद अब यह ताजा फैसला सामने आया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से

अधिवक्ता वैभव ए. गोवर्धन ने पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ता सतीश जग्गी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बी.पी. शर्मा उपस्थित रहे। राज्य सरकार की ओर से इंट्री एडवोकेट जनरल डॉ. सौरभ पांडे और अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रमोद कुमार वर्मा ने भी अपनी दलीलें पेश कीं। सभी पक्षों की विस्तृत बहस के बाद अदालत ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। रामावतार जग्गी का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव काफी व्यापक था। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री Vidyacharan Shukla के करीबी माने जाते थे और उनके साथ कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे। पार्टी में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके चलते उनकी पहचान एक प्रभावशाली नेता के रूप में बनी थी। उनकी हत्या के बाद प्रदेश की राजनीति में काफी उथल-पुथल मच गई थी और यह मामला लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। अब उच्च न्यायालय के इस फैसले ने एक बार फिर इस पुराने लेकिन अहम मामले को सुर्खियों में ला दिया है। आने वाले दिनों में यह देखा महत्वपूर्ण होगा कि अमित जोगी सर्वोच्च न्यायालय में किस तरह से अपनी कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाते हैं और इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। फिलहाल, अदालत के स्पष्ट निर्देश के बाद अब यह ताजा फैसला सामने आया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से

कोयला तस्करी केस में ED का बड़ा एक्शन, IPAC के ठिकानों पर देशभर में छापेमारी

नई दिल्ली/कोलकाता/बंगलुरु। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए देश के कई शहरों में छापेमारी की है। Enforcement Directorate (ED) ने पॉलिटिकल कंसेल्टेसी फर्म Indian Political Action Committee (IPAC) से जुड़े ठिकानों पर रेड की है। यह कार्रवाई हैदराबाद, बंगलुरु और दिल्ली सहित कई स्थानों पर एक साथ की गई, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। जांचकारी के मुताबिक, बंगलुरु में कंपनी के को-फाउंडर Rishiraj Singh के

ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। इससे पहले ही इसी वर्ष जनवरी में ED ने कोलकाता स्थित IPAC कार्यालय और इसके डायरेक्टर Prateek Jain के आवास पर छापेमारी की थी। उस समय कंपनी ने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण और कठिन दिन" बताते हुए कहा था कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रही है और आगे भी कानून का सम्मान करते हुए सहयोग जारी रखेगी। दरअसल, यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल में अवैध खनन और चोरी किए गए कोयले के परिहहन का नेटवर्क चला रहा था। जांच एजेंसी के अनुसार, इस पूरे रैकेट में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई हुई थी। इसके बाद ED ने धन शोधन

निवारण अधिनियम यानी Prevention of Money Laundering Act के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि Eastern Coalfields Limited (ECL) के लीज क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से कोयले की खुदाई और चोरी की जा रही थी। ED की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड Anup Majhi था, जो लंबे समय से अवैध खनन और चोरी किए गए कोयले के परिहहन का नेटवर्क चला रहा था। जांच एजेंसी के अनुसार, इस पूरे रैकेट में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है, जिनमें ECL, Central Industrial

Security Force (CISF), भारतीय रेलवे और अन्य विभागों से जुड़े लोग शामिल बताए गए हैं। जांच के दौरान यह सामने आया कि ECL क्षेत्र से अवैध खनन और चोरी के जरिए पैमाने पर अवैध तरीके से कोयले की खुदाई और चोरी की जा रही थी। ED की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड Anup Majhi था, जो लंबे समय से अवैध खनन और चोरी किए गए कोयले के परिहहन का नेटवर्क चला रहा था। जांच एजेंसी के अनुसार, इस पूरे रैकेट में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है, जिनमें ECL, Central Industrial

खुलासा हुआ है। ED के अनुसार, अवैध कोयला कारोबार से अर्जित काले धन को सफेद करने के लिए हवाला ऑपरटों का इस्तेमाल किया गया। जांच में यह भी दावा किया गया कि करीब 20 करोड़ रुपये की हवाला राशि IPAC तक पहुंचाई गई थी। हालांकि, इन आरोपों पर कंपनी ने पहले ही कहा है कि वह पूरी तरह कानून का पालन करती है और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही है। ED ने पहले जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच भी इस मामले में 46 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस दौरान गुरुपदा माजी और जयदेव मंडल जैसे सहयोगियों के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई के

लेन-देन के प्रमाण सामने आए थे। साथ ही शकंभरी ग्रुप ऑफ कंपनियों को अवैध कोयले की बिक्री के भी साक्ष्य मिले थे। इस पूरे मामले में राजनीतिक विवाद भी कम नहीं रहा है। जांच के छापेमारी के दौरान ED ने Mamata Banerjee पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कार्रवाई में हस्तक्षेप किया और अहम दस्तावेजों को छिपाए जाने की मदद की। हालांकि, इन आरोपों को लेकर राजनीतिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। गौरतलब है कि IPAC देश की एक प्रमुख पॉलिटिकल कंसल्टेसी फर्म रही है, जिसने विभिन्न विचारधाराओं वाली कई राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया है।

3 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक दोपहर 12:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक शाहीबाग अंडरपास यातायात के लिए बंद रहेगा

पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद मंडल अंतर्गत शाहीबाग अंडरपास नंबर 731A के सभी प्रवेश एवं निकास मार्ग 3 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के कारण यातायात हेतु बंद रहेगे। इस अवधि के दौरान मार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए वैकल्पिक मार्ग निम्नानुसार रहेगे: 1. दिल्ली दरवाजा एवं सुभाष ब्रिज की ओर से आने वाला ट्रेफिक, जिसे एयरपोर्ट या एयरपोर्ट जाना है, से आने वाला ट्रेफिक, जिसे एयरपोर्ट या गांधीनगर जाना है, वह सुभाष ब्रिज के अंत में शिलालेख प्लेट होकर रिवरफ्रंट मार्ग का

सोना वायदा में 4503 रुपये और चांदी वायदा में 15784 रुपये की भारी गिरावट: कूड ऑयल वायदा 1011 रुपये तेज

मुंबई: देश के अग्रणी कमांडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमांडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स प्यूचर्स में 155629.99 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमांडिटी वायदाओं में 41081.71 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमांडिटी ऑप्शंस में 114547.64 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 35679 पाइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमांडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3580.49 करोड़ रुपये का हुआ। कौमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 29779.06 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 146832 रुपये के भाव पर खुलकर, 149699 रुपये के दिन के उच्च और 145601 रुपये के नीचेले स्तर को छूकर, 150104 रुपये के पिछले बंद के सामने 4503 रुपये या 3 फीसदी गिरकर 145601 रुपये प्रति 10 ग्राम अप्रैल 145601 रुपये प्रति 10 ग्राम 151200 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 151200 रुपये और नीचे में 146000 रुपये पर पहुंचकर, 152443 रुपये के पिछले बंद के सामने 5022 रुपये या 3.29 फीसदी गिरकर 147421 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 242800 रुपये के भाव पर खुलकर, 242800 रुपये के दिन के उच्च और 224500 रुपये के नीचेले स्तर को छूकर, 243501 रुपये के पिछले बंद के सामने 15784 रुपये या 6.48 फीसदी लुढ़ककर 227714 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 15157 रुपये या 6.15 फीसदी की गिरावट के साथ 231280 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-

गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 517 रुपये या 3.37 फीसदी गिरकर 14809 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 148480 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 148679 रुपये और नीचे में 144612 रुपये पर पहुंचकर, 5588 रुपये या 3.7 फीसदी गिरकर 145238 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टैन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 151200 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 151200 रुपये और नीचे में 146000 रुपये पर पहुंचकर, 152443 रुपये के पिछले बंद के सामने 5022 रुपये या 3.29 फीसदी गिरकर 147421 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 242800 रुपये के भाव पर खुलकर, 242800 रुपये के दिन के उच्च और 224500 रुपये के नीचेले स्तर को छूकर, 243501 रुपये के पिछले बंद के सामने 15784 रुपये या 6.48 फीसदी लुढ़ककर 227714 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 15157 रुपये या 6.15 फीसदी की गिरावट के साथ 231280 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-



माइक्रो अप्रैल वायदा 15201 रुपये या 6.17 फीसदी लुढ़ककर 231349 रुपये प्रति किलो बोला गया। मेटल वर्ग में 2336.96 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 20.05 रुपये या 1.71 फीसदी गिरकर 1149.15 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 4.25 रुपये या 1.31 फीसदी गिरकर 321.15 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 4.85 रुपये या 1.36 फीसदी अंधकर 350.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सोना अप्रैल वायदा 1.4 रुपये या 0.71 फीसदी गिरकर 196.1

बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 270 रुपये के भाव पर खुल कर, 272.7 रुपये के दिन के उच्च और 267.4 रुपये के नीचेले स्तर को छूकर, 265.4 रुपये के पिछले कारोबारियों ने एनजी सेगमेंट में 8817.32 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स कूड ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 9623 रुपये के भाव पर खुलकर, 10286 रुपये के दिन के उच्च और 9623 रुपये के नीचेले स्तर को छूकर, 1011 रुपये या 10.93 फीसदी की तेजी के संग 10264 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि कूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 1007 रुपये या 10.88 फीसदी की बढ़त के साथ 10263 रुपये प्रति

बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 270 रुपये के भाव पर खुल कर, 272.7 रुपये के दिन के उच्च और 267.4 रुपये के नीचेले स्तर को छूकर, 265.4 रुपये के पिछले कारोबारियों ने एनजी सेगमेंट में 8817.32 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स कूड ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 9623 रुपये के भाव पर खुलकर, 10286 रुपये के दिन के उच्च और 9623 रुपये के नीचेले स्तर को छूकर, 1011 रुपये या 10.93 फीसदी की तेजी के संग 10264 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि कूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 1007 रुपये या 10.88 फीसदी की बढ़त के साथ 10263 रुपये प्रति

करोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 20553.33 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 9225.73 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1548.29 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 485.43 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 28.16 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 275.08 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिनों के अलावा कूड ऑयल और कूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7208.88 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1564.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। अपेक इंटरस्ट सोना के वायदाओं में 47512 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26883 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 381123 लोट और गोल्ड-टैन के वायदाओं में 52841 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7300 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 20096 लोट और चांदी-

माइक्रो वायदाओं में 79524 लोट के स्तर पर था। कूड ऑयल के वायदाओं में 23357 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 35174 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स प्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 35822 पाइंट पर खुलकर, 35940 के उच्च और 35679 के नीचेले स्तर को छूकर, 1095 पाइंट घटकर 35679 पाइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमांडिटी ऑप्शंस अहम प्यूचर्स में कूड ऑयल अप्रैल 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 517.8 रुपये की बढ़त के साथ 1030.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एएमबीटीयू 2 रुपये की बढ़त के साथ 15.25 रुपये हुआ। सोना अप्रैल 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 53 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 562.5 रुपये की गिरावट के साथ 997.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक

प्रति किलो 3.31 रुपये की गिरावट के साथ 15.07 रुपये हुआ। जस्ता मई 342.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.59 रुपये की गिरावट के साथ 1.11 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में कूड ऑयल अप्रैल 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 292 रुपये की गिरावट के साथ 352.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एएमबीटीयू 1.6 रुपये की गिरावट के साथ 16.2 रुपये हुआ। सोना अप्रैल 120000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 193.5 रुपये की बढ़त के साथ 457.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 53 रुपये की बढ़त के साथ 599 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 5.41 रुपये की बढ़त के साथ 14.52 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 26 पैसे के सुधार के साथ 5.25 रुपये हुआ।